बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल,पंत भवन, पटना–800001

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना में लेखापाल–सह–रोकड़पाल के 02 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा आधारित नियोजन हेतु वॉक–इन–इन्टरभ्यू के आयोजन की सूचना :–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा ''लेखापाल–सह–रोकड़पाल'' के 02 रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012'' एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक–10.7.2015 एवं पत्रांक 3815 दिनांक 11.03.2016 में निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए दिनांक 19.06.2017 को 11:00 बजे पूर्वा0 से 1:00 बजे अप0 तक एक ''वॉक–इन–इन्टरभ्यू'' का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल,पंत भवन, पटना में किया गया है। इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं परिलब्धियाँ निम्नवत् होंगी :–

क्र0	पद का नाम	पद की संख्या	आरक्षण रोस्टर	शैक्षणिक योग्यता /अनुभव	उम्र	परिलब्धियाँ
1	लेखापाल–सह – रोकड़पाल	02	अनारक्षित–01 अ0पि0व0–01	बिहार सचिवालय सेवा या समकक्ष पद से सेवानिवृत कर्मी / पदाधिकारी अथवा महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत कर्मी / पदाधिकारी, जिन्हें लेखा कार्यो का पर्याप्त अनुभव हो। वाणिज्य स्नातक कर्मी को अधिमानता दी जायेगी।	62 वर्ष (अधिकतम)	सरकारी प्रावधानानुसार

2. अभ्यर्थी अपने साथ विहित प्रपत्र में हस्तलिखित अथवा टंकित आवेदन पत्र के साथ–साथ दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, सेवा से संबंधित अभिलेख, पी0पी0ओ0, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ का एक सेट साथ में लायेंगे। साथ ही इनकी मूल प्रतियॉ भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. नियोजन से संबंधित विस्तृत सूचना / शर्तें एवं आवेदन प्रपत्र प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर अवलोकन / डाउनलोड की जा सकती है।

4. आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय होगा।

(साँवर भारती)
सचिव

Bi/pp/bsdma

संविदा आधारित लेखापाल–सह–रोकड़पाल के पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र।

स्व–अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।

1	सेवानिवृत्त कर्मी/पदाधिकारी का नाम, पदनाम (मोबाईल नं0 सहित)	
2	अभ्यर्थी के पिता/पति का नामः–	
3	जन्म तिथिः–	
4	पत्राचार का पताः–	
5	स्थायी पताः–	
6	शैक्षणिक योग्यता	
7	सेवा में नियुक्ति की तिथिः–	
8	सेवानिवृत्ति की तिथिः–	
9	विभाग/संस्थान का नाम जहाँ से अभ्यर्थी सेवानिवृत्त हुआ हैः–	
10	विभिन्न विभागों में अलग–अलग कार्य अवधि का विवरणः–	
11	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं ?	
12	क्या अभ्यर्थी आरक्षण की श्रेणी में आता है, यदि हाँ, तो आरक्षण कोटि	

आवेदक का हस्ताक्षर

तिथिः–.......................................

स्थानः–.......................................

1

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल,पंत भवन, पटना–800001

लेखापाल–सह–रोकड़पाल के पद पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा आधारित नियोजन की सूचना/शर्तें :–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत "लेखापाल–सह–रोकड़पाल" 02 रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012" एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.7.2015 एवं पत्रांक–3815 दिनांक 11.3.2016 में निहित प्रावधानों के तहत यह नियोजन किया जा रहा है।

1. उक्त पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में 03 (तीन) वर्षों अथवा प्रतिनियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होगी। तीन वर्षो (अथवा कम) की समाप्ति के पश्चात आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत अधिकतम 65 वर्षों की आयु तक के लिए किया जा सकेगा।

2. नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। नियोजन अवधि का विस्तार नही होने की स्थिति में नियोजन स्वतः समाप्त समक्षा जायेगा।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक 10.7.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

4. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

5. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि

(क) उनके विरूद्ध निगरानी का कोई मामला नहीं चल रहा है।
(ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
(ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।
(घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

9. प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 में निर्धारित मापदंडो का अनुपालन किया जाएगा।

10. संविदा पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों की कुल संख्या/कोटिवार संख्या में परिवर्तन (कम/अधिक) करने की शक्ति प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगी।

11. मानेदयः– नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय प्रावधानानुसार उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही होगी, जो कि उनके संविदा अवधि तक स्थिर रहेगी।

12. लेखा/नजारत/विपत्र एवं कोषागार कार्यों का कम से कम पाँच वर्षो के अनुभव वाले आवेदकों एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकों को अधिमानता दी जा सकेगी।

13. इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी प्राधिकरण के द्वारा बेवसाइट पर अपलोड आवेदन पत्र में अपना पूर्ण विवरणी हस्तलिखित /टंकित रूप में भर कर आवश्यक अभिलेखों एवं फोटो ग्राफ के साथ वॉक–इन–इनटरभ्यू के समय उपस्थापित करेंगे। आवेदन प्रपत्र सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001 को संबोधित किया जायेगा।

(साँवर भारती)
सचिव

Bi/pp/bsdma